फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री भवानीशंकर जोशी निवासी धनवन्त परिवार, राजकीय विद्यालय के पास, पो. टीकड़ तहसील आमेट जिला राजसमन्द पिन कोड 313332

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 87/2023**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 29.01.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से जरिये क्रमांक :– आर.टी.आई. /2024/11 दिनांक 05.01.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना ग्राम टीकर पटवार मण्डल खाखरमाला में स्थित खसरा नम्बर 2140 रकबा 6.7000 हैक्टर किस्म चारागाह भूमि चारागाह पंचायत खाखरमाला के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड में हैं। आ.नं. 2140 पर श्री घनश्याम पिता पूरालाल ब्राहम्मण एवं गोपीलाल पिता डालचन्द ब्राहम्मण द्वारा अतिक्रमण कर रखा हैं। दोनो अतिक्रमी के विरूद्ध नियमानुसार धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं। आ.नं. 2140 में घनश्याम ब्राहम्मण द्वारा मकान 0.0150 हैक्टर पर बाडा सहित 0.0700 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण एवं गोपीलाल पिता डालचन्द ब्राहम्मण द्वारा बाडा व अस्थाई झोपडी 0.0700 हैक्टर पर अतिक्रमण कर रखा हैं। घनश्याम ब्राहम्मण परिवार सहित 8–10 वर्षो से निवासरत हैं। निर्माण के संबंध में स्वीकृति अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी के क्रम में ग्राम पंचायत खाखरमाला से जानकारी प्राप्त करने हेतु लिख गया। पटवारी हल्का खाखरमाला द्वारा दिनांक 01.01.2024 को खसरा नम्बर 1498,1499 पर पहुँच कर मौके पर उपस्थित एकलिंग (उपकृषक) गीतादेवी पत्नी रमेश चन्द्र (खातेदार) को दुकान निर्माण कार्य नही करने हेतु पाबंद किया गया एवं पुनरावृती पर कानुनी कार्यवाही अमल में लाई जाने हेतु चेतावनी दी गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम	

न्यायालय जिला कलक्टर

(2)

	अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)